FAQ

प्र01 -काष्ठ आधारित उद्यागो से सम्बन्धित नये लाईसेंस के लिये आवेदन किस प्रकार से किया जायेगा।

उत्तर- नये लाईसेंस के लिये आवेदन वन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://upforest.gov.in के होम पेज पर बने लिंक "Wood Based Industries Licensing System" पर क्लिक करके किया जा सकेगा।

प्र02- क्या आवेदन आफलाईन भी किया जा सकता है।

उत्तर- नहीं। आवेदन केवल आनलाईन ही स्वीकार्य होगा।

प्र03- आनलाईन आवेदन में किन अभिलेखों की आवश्यकता पड़ेगी
उत्तर- आनलाईन आवेदन में निम्न आभिलेखों की आवश्यकता पड़ेगी

i आवेदक का नवीनतम फोटो

ii- आधार

iii- पते का प्रमाण

iv- 10 रू के स्टैम्प पर वन अपराध के लम्बित न होने की स्थिति में शपथ पत्र

v- 100 रू के स्टैम्प पर वन विभाग के नियमों / विनियमों से सहमति की स्थिति में शपथ पत्र

vi- नेट वर्थ (सकल सम्पत्ति) के समर्थन में निम्न में से कोई एक या एक से अधिक प्रासंगिक दस्तावेज जो सकल सम्पति के समर्थन में हो अपलोड किया जाना होगा।

- 3 वर्षों की आडिटेड बैलेन्स शीट।
- तीन वर्षों का आई0टी0आर0।
- बैंक से प्राप्त साल्वेन्सी प्रमाण पत्र।
- कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो सकल सम्पत्ति के समर्थन में हो।

प्र04- फीस का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा
उत्तरः- फीस का भुगतान पोर्टल पर उपलब्ध आन लाईन पेमेंट गेट्वे के माध्यम से किया जायेगा । उक्त के अंतर्गत किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है ।

प्र05- क्या आवेदन करने के समय ही आनलाईन भुगतान किया जाना आवश्यक है ।
उत्तरः- नही । आप आवेदन पत्र मे मांगी गयी सूचनाओं को पूर्ण रूप से भरकर Save as Draft रख सकते है एवं अपनी सुविधानुसार तुरंत अथवा अगली तिथि मे भी भुगतान कर सकते है । कृपया ध्यान दे कि आवेदन पत्र आनलाईन सबमिट तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया हो । आवेदन पत्र आनलाईन सबमिट (शुल्क सहित) की अंतिम तिथि 14 जुलाई की मध्यरात्रि है ।
प्र06- क्या आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित अभिलेखों की हार्ड कापी विभाग के कार्यालयों को भेजी जानी होगी
उत्तरः- नही ।

प्र07- यदि प्रयोगकर्ता यूजर नेम व पासवर्ड भूल गया है तो क्या कर सकते है
उत्तरः- लागिन पेज पर Forgot Username/Forgot Password विकल्प का प्रयोग करे । एक लिंक आपकी रजिस्टर्ड ई मेल पर भेजा जायेगा जिसके माध्यम से आप नया यूजर नेम व पासवर्ड बना सकते है ।